अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू) का कार्यालय।

अभिलेख वाद सं0– 9/2016-17

वाद का प्रकारः– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
9.11.2022	**Covid-19** के तहत हुए लॉक डाउन के कारण अभिलेख उपस्थापित नहीं किया जा सका। प्रभारी प्रधान सहायक के द्वारा बतलाया गया कि अभिलेख संबंधित कर्मचारी के पास था। हस्तानान्तरण के पश्चात इनके द्वारा अभिलेख कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रभारी प्रधान सहायक को निदेश दिया जाता है कि अभिलेख संधारण की कार्रवाई पुनः शुरु करें। अभिलेख दिनांक 8.12.2022 को उपस्थापित करें। 09/11/22 अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	
8.12.22	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सह–पठित –श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू– अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक सं0–3 ख।0म0निति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं0– 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 एवं विभागीय पत्रांक 1704/रा0, दिनांक 15/07/2020 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म जंगल झाड़ी) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अचंल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, निम्नांकित विवरणी की भूमिः– मौजा मुरुमातु थाना नं0 328 खाता सं0 37 प्लॉट सं0 982 etc. रकबा 5.00.5 एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म जंगल झाड़ी अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द सं0 1 के पृष्ट सं0 86 पर जमाबंदी रैयत बनारसी लाल पिता करमा लाल के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर /सादाहुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनकों कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं	

Scanned with CamScanner

उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 24.12.22 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

24.12.22 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। मांगधारी रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित हुए। इनके द्वारा अपने पक्ष में झारखण्ड भू-दान यज्ञ कमिटी के द्वारा दिया गया पर्चा सं0 - 71014 एवं निर्गत रसीद वर्ष - 1998-99 समर्पित किया गया है। इस संबध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को निदेश दिया जाता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को एक सप्ताह के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।

अभिलेख दिनांक 7.1.2023 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

7.1.23 अभिलेख उपस्थापित

राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा सुरुमहुआ मौजा नं0 328 खाता सं0– 83 ए0, प्लॉट सं0– 98 ए0, रकबा 1.25 ए0 किस्म गैरमजरूआ खतियान के अनुसार गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है। मांगधारी रैयत/ वंशज के द्वारा दिनांक 01/01/1946 के पूर्व का ठोस राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। चुँकि उक्त प्लॉट का किस्म गैरमजरूआ दर्ज है, अतः जमाबंदी को नियमितिकरण नहीं किया जा सकती है। उक्त के आलोक में अवैध जमाबंदीदार बनारसी राम पिता करम राम के नाम से पंजी–II में कायम जमाबंदी सं0 86/1 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षके के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत पंजी–II में कायम जमाबंदी सं0 86/1 को रद्द करने हेतु अनुशंसा के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, छत्तरपुर के माध्यम से अपर समाहर्ता, पलामू को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

17/01/23
अंचल अधिकारी
छत्तरपुर।

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Scanned with CamScanner

13

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला चेक–लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम – पलामू अंचल छतरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एंव भूमि का विवरण :–

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं॰	खाता नं॰	खेसरा नं॰	रकवा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
बनारसी साव पिता	गुरुदाग	328	37	982	1.25	गैरमजरुआ मालिक	जंगलझाड़ी
चरम साव			20	981	0.52½	रैयति	टाड़ तीन
			14	978	0.50	रैयति	
			16	893	0.35	रैयति	टाड़ तीन
			22	869	2.40	रैयति	टाड़ तीन
					5.02½		
					42.½ (बिक्री कट्टा)		
					शेष 4.60 एकड़		

3. भूमि का वर्त्तमान स्वरूप :–

4. अवैध जमाबंदी पंजी–II में कब से संधारित है? :–
मांग 1985-86 से कायम है।

5. उक्त जामबंदी पंजी–II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारीयों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पत्ता कर उल्लेखित करें) :– जमाबंदी पंजी II में दर्ज करने वाले पदा. का नाम दर्ज नहीं है

6. नामान्तरण/दाखिल – खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :– N A

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार :–
   (क) अनिबंधित ,सादा हुकुमनामा
   (ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एंवं पारित अदेशानुसार) :–

पंजी II में जमाबंदी कायम किये जाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं है

   (ग) अवैध भू–बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :– —

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा–कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/–रूपये से कम या इससे अधिक) :– —

Scanned with CamScanner

अवैध जामबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई है :- अंचल कार्यालय में उपलब्ध चालू पंजी II से

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से :-

(ख) अंचल / अनुमंडल में संधारित बंदोबस्ती पंजी से :-

(ग) दाखिल–खारिज / भू–हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

10. (क) अवैध जमाबंदी क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व से कायम है :- नहीं

(ख) क्या दिनांक–01.01.1946 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल–दर–साल निर्गत है? :- नहीं

11. क्या दिनांक–01.01.1946 के बाद से 1955–56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत है? :- नहीं

12. वर्ष 1954–55 में हुए फिल्ड –बुझारत पंजी में दखल–कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नहीं

13. राजस्व उप–निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :-

चेकलिस्ट मे दर्ज भूमि खाता 37 प्लॉट 982 रकबा 1.25 एकड़ की किस्म जंगल झाड़ी है गैरमजरूआ मालिक खाते की भूमि है तथा शेष रैयती खाते कि भूमि है। मांग चलने का आधार पंजी II पर दर्ज नहीं है। गैरमजरूआ खाते की भूमि मांगधारी को झारखण्ड भूदान यज्ञ कमिटी से प्रपत्र 5 मे जिसका क्रमांक 71014 से प्राप्त हुआ है जिसका LRDC/SDO से लगान निर्धारण का विवरण प्रपत्र मे कहीं दर्ज नहीं है और नहीं मांगधारी द्वारा अंचल कार्यालय द्वारा नोटिस जारी के उपरांत कोई अन्य कागजात दिया गया। मांगधारी का मांग संयुक्त रूप से खाता 37 एवं 20, 14, 16, 22 कुल रकबा 4.60 एकड़ का दर्ज है। इस मांग की खाता 37 प्लॉट 982 रकबा 1.25 एकड़ किस्म जंगल झाड़ी, भूमि अवैध प्रतीत होता है। अतः खाता 37 प्लॉट 982 रकबा 1.25 एकड़ भूमि को अवैध मानते हुए तथा शेष भूमि का मांग यथावत रखते हुए Act 4(h) की कार्रवाई की जाती है।

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन का जाँच किया, सही पाया। अतः उपरोक्त जमाबंदी में से गैरमजरूआ खाता का मांग रद्द करते हुए शेष भूमि को यथावत रखने की अनुशंसा की जाती है।

अंचल अधिकारी, छत्तरपुर।	भूमि–सुधार उप समाहर्त्ता, छत्तरपुर।	अनुमण्डल पदा०, छत्तरपुर।	अपर समाहर्त्ता, पलामू।	उपायुक्त, पलामू।

Scanned with CamScanner

प

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– बनारसी साव पिता करम साव

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या ...1... पृष्ठ सं. ...86... पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा
मुसहरा	328	37 गैरमा.	982	1.25
		20 रैयति	981	0.52½
		14 "	978	0.50
		16 "	893	0.35
		22 "	869	2.40
				5.02½
				-0.42½
				4.60 एकड़ (अनुमानित)

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :–

4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैरमा. रैयति 37 20,14,16 22

5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :– दर्ज नहीं है

6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :–

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू–बंदाबस्ती) :– पंजी II में जमाबंदी कायम किये जाने का आधार दर्ज नहीं है

8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी (भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू–हस्तांतरण पंजी)
:– अंचल कार्यालय में उपलब्ध पंजी-II से

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :–

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	898267	27/01/1998	1998-99

Scanned with CamScanner

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं0 9 / 20 16-17 (अन्तर्गत धारा 4(h). BLR Act, 1950

सूचना

बनाम मरवम साव

पिता - बनारसी साव

....

एतद द्वारा आपको सूचित कया जाता है कि मौजा मुरुमदाग थाना नं0....... खाता सं0 37 खेसरा नं0 982, 981, 978, 893 रकबा 500.5 से संबंधित आपके नाम से ह0 नं0 V के पंजी–II भाग I के पृष्ठ 86 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 24/12/2022 को समय 11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न–1, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहूँधते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति--युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।

Digitally signed by MODASAR NAZAR MANSURI
Date: 2023.01.11 13:52:26 +05:30
Location: 192.168.143.5

7321038990

अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Scanned with CamScanner